

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०
संख्या:एमई-3/यू०जी०/2018/2494 लखनऊ:दिनांक:26/6/2018

कार्यालय आदेश

यू०पी०नीट यू०जी०-2018 के निर्गत ब्रोशर(विवरण पुस्तिका) के पृष्ठ सं० 15 पर "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न कालेजों को शैक्षणिक सत्र 2017-2018 एवं 2018-19 हेतु डिबार किया गया है" के शीर्षक के क०सं० 4 पर सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव को डिबार कालेजों की सूची में दर्शाया गया है, के संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 5.9.2017 में निर्गत निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त शीर्षक के अन्तर्गत डिबार कालेजों की सूची के क्रमांक-4 पर सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव को विलोपित करते हुए पृष्ठ 15 के शीर्षक "निजी क्षेत्र के ऐसे मेडिकल कालेज जिनको भारत सरकार द्वारा वर्तमान सत्र 2018-19 में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है, की सूची" के क०सं० 6 पर सम्मिलित किये जाने के आदेश एतद् द्वारा निर्गत किये जाते हैं। तदनुसार ब्रोशर का पृष्ठ-15 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(कै०के०गुप्ता)
महानिदेशक।